Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जिला चुरू में कृषि उपज मण्डी के सचिव एवं कनिष्ठ सहायक 40 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की चुरू इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज शुक्रवार को घनश्याम मीना सचिव कृषि उपज मण्डी सरदारशहर अतिरिक्त चार्ज कृषि उपज मण्डी चुरू एवं कृषि उपज मण्डी चुरू के ही कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रसाद सैनी को 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चुरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि चुरू फल सब्जी मण्डी में बने टीन–शेड में तराजू व सब्जी रखने की जगह दिलाने के नाम पर आरोपी सचिव घनयाम मीना एवं आरोपी कनिष्ठ सहायक जगदीश प्रसाद सैनी द्वारा 40 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चुरू के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर अपनी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **घनश्याम मीना सचिव कृषि उपज मण्डी सरदारशहर अतिरिक्त चार्ज कृषि उपज मण्डी चुरू एवं जगदीश प्रसाद सैनी कनिष्ठ सहायक कृषि उपज मण्डी चुरू** को परिवादी से **40 हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेना व देना अपराध की श्रेणी में आता है। रिश्वत मांगने की शिकायत देने वाले की जानकारी गोपनीय रखी जाती है** तथा कार्यवाही के पश्चात् उनके वैध कार्य में एसीबी द्वारा मदद भी राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप की जाती है।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।